राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 5 FEB 2013

स्पष्टीकरण आदेश

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.01.2010 द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक योजनाओं हेतु बाह्य विकास शुल्क वसूल करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यह भी निर्देश दिये गये थे कि परिपत्र दिनांक 03.07.09 जारी होने के पश्चात अनुमोदित योजनाओं के संबंध में सम्पूर्ण योजना के क्षेत्रफल के आधार पर बाह्य विकास शुल्क न्यूनतम रूपये 50/–प्रति वर्गमीटर की दर से जमा करवाया जावे।

कुछ नगरीय निकायों द्वारा दिनांक 03.07.2009 से पूर्व अनुमोदित योजनाओं में भी संपूर्ण योजना क्षेत्र के अनुसार बाह्य विकास शुल्क जमा कर लिया गया या जिसकी अधिक जमा राशि को अन्य योजनाओं में समायोजन किये जाने बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 3.7.2009 से पूर्व जिन योजनाओं का ले–आउट प्लान स्वीकृत हो चुका है, ऐसी योजनाओं पर अधिक ली गई राशि का समायोजन किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्पष्टीकरण आदेश की प्रति समस्त संबंधित को भिजवाने का श्रम करें।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
9. समस्त अधिकारीगण/समस्त शाखायें नगरीय विकास विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

(आर0के0पारीक)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

Goyal Hemendra/UDH/Order/2013